न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मुकदमा नम्बरः–50 / 2024
निर्णय दिनांकः–12.09.2024
पीठासीन अधिकारीः–राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

सुगना पत्नि सुखदेव जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मण्डप तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।

वादीया

बनाम

1. लादू पुत्र रामकरणजाति कुम्हार ((प्रजापति)) निवासी मण्डप तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।
2. लादी पुत्री रामकरणजाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मण्डप तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।
3. लालाराम पुत्र रामकरणजाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मण्डप तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।
4. सीताराम पुत्र रामचन्द्र जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मण्डप तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।
5. कालू पुत्र रामचन्द्र जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मण्डप तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।
6. श्योजी पुत्र रामचन्द्र जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मण्डप तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।
7. मन्ना पुत्री रामचन्द्र जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मण्डप तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।
8. हंसा पत्नि स्व0 शंकर जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मण्डप तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।
9. रेखा पुत्री स्व0 शंकर
10. मिनाक्षी पुत्री स्व0 शंकर
11. गुंजन पुत्री स्व0 शंकर
12. वरूण पुत्र स्व0 शंकर
    समस्त नाबालिग जरिये संरक्षक पत्नि स्व0 शंकर जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मण्डप तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।
13. छोटा देवी पत्नि हनुमान जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मण्डप तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।
14. रामकन्या पत्नि रामधन जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मण्डप तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।
15. सुगना देवी पत्नि नरोतम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मण्डप तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।
16. सुरज्ञानी देवी पत्नि रमेश जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मण्डप तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।
17. तहसीलदार फागी तहसील फागी

प्रतिवादीगण

उपस्थित विद्वान अधिवक्ताः– श्री विनय कुमार जैन अधिवक्ता वादीया
श्री मुकेश चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादीगण

लगातार...............2

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

वाद घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती, स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक:–12.09.2024

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी सं. 55 खसरा नम्बर 311/504 रकबा 1. 2645 है0, ख.नं. 38 रकबा 0.2908 है०, ख.नं. 427 रकबा 0.6449 है०, ख.नं. 569/244 रकबा 1.2645 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 3.4647 है0 भूमि वाके ग्राम मण्डप तहसील फागी, जिला जयपुर हाल जिला दूदू में स्थित हैं। जिसमें वादीया का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 लगा0 3 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 4 लगा0 12 का 1/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 13 लगा0 16 का 1/5 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है एवं मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं व हिस्सानुसार लगान सरकारी अदा करता आ रहे हैं। उक्त वर्णित आराजी खसरा नम्बर 311/504 रकबा 5 बीघा अर्थात 1.2645 है0, ख.नं. 38 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा अर्थात 0.2908 है०, ख.नं. 427 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा अर्थात 0.6449 है०, ख.नं. 569/244 जिसका पूर्व नम्बर 3.244/535 रकबा 5 बीघा अर्थात 1.2645 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 13 बीघा 14 बिस्वा अर्थात 3.4647 है0 भूमि है, जो पूर्व में सम्पूर्ण भूमि बालू पुत्र भूरा जाति कुम्हार निवासी मण्डप तहसील फागी के नाम दर्ज थी। पूर्व खातेदार बालू पुत्र भूरा जाति कुम्हार निवासी मण्डप तहसील फागी ने आराजी खसरा नम्बर 311/504 रकबा 5 बीघा अर्थात 1.2645 है०, ख.नं. 38 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा अर्थात 0.2908 है०, ख.नं. 427 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा अर्थात 0.6449 है०, ख.नं. 569/244 जिसका पूर्व नम्बर 3.244/535 रकबा 5 बीघा अर्थात 1.2645 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 13 बीघा 14 बिस्वा अर्थात 3.4647 है0 भूमि में से 1/5 हिस्से की भूमि स्वयं के पास रखते हुये शेष 4/5 हिस्से की भूमि को जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25. 05.2012 के वादीया, प्रतिवादी सं. 01 लग0 03 की माता शान्ति देवी पत्नि रामकरण, प्रतिवादी सं. 05 लगा0 12 की माता/दादी राधा पत्नि रामचन्द्र एवं प्रतिवादी सं. 13 लगा0 16 को बैचान किया था। उक्त विक्रय पत्र का पंजीयन उप पंजीयक माधोराजपुरा जिला जयपुर में दिनांक 25.05.2012 को पुस्तक सं. 1 जिल्द सं. 52 में पृष्ठ सं. 60 अतिरिक्त पुस्तक सं. 1 जिल्द सं. 202 के पृष्ठ सं. 118 से 121 के क्रम सं. 540 पर पंजीबद्ध कियागया। उक्त विक्रय पत्र मे विक्रेता बालू ने उक्त वर्णित कुल किता 4 कुल रकबा 13 बीघा 14 बिस्वा भूमि में से 4/5 हिस्से की भूमि का बैचान किया था जिसमें वादीया, प्रतिवादी सं. 1 लगा0 3 की माता शान्ति देवी पत्नि रामकरण एवं प्रतिवादी सं. 05 लगा0 12 की माता / दादी राधा पत्नि रामचन्द्र का 3/4 हिस्सा बराबर–बराबर एवं प्रतिवादी सं. 13 लगा० 16 का 1/4 हिस्सा बराबर–बराबर दर हिस्सा 4/5 के अनुसार किया था जिसके अनुसार वादीया का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी

लगातार..................3

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

सं. 1 लगा0 3 की माता शान्ति देवी पत्नि रामकरण का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 05 लगा० 12 की माता/दादी राधा पत्नि रामचन्द्र का 1/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 13 लगा0 16 का 1/5 हिस्सा होता है। खातेदार राधा देवी पत्नि रामचन्द्र की मृत्यु हो चुकी है उसके विधिक वारिशान को प्रतिवादी सं. 4 लगा० 12 कायम किया गया है। उक्त विक्रय पत्र दिनांक 25.05.2012 के आधार पर क्रेतागण के पक्ष में नामान्तकरण सं. 328 दर्ज किया गया जिसमें विक्रेता बालू का तो 1/5 हिस्सा छोड दिया परन्तु वादीगण एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा सही दर्ज नही किया एवं सभी क्रेतागणों का समान हिस्सा दर्ज कर दिया गया, जो गलत था एवं दुरूस्त किये जाने योग्य है। उक्त नामान्तरकण के आधार पर तत्कालीन जमाबन्दी में भी अंकन 1/5 कर दिया गया, जो गलत था। वास्तव में वादीया ने भूमि में 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 लगा0 3 ने 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 4 लगा0 12 ने 1/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 13 लगा0 16 ने 1/5 हिस्से की भूमि क्रय की थी एवं उसी अनुसार प्रतिफल अदा किया था, एवं विक्रय पत्र में अंकन भी उसी अनुसार करवाया था परन्तु विक्रय पत्र का नामान्तकरण करते समय पटवारी हल्का ने वादीया एवं प्रतिवादीगण के हिस्से गलत दर्ज कर दिये जो दुरूस्त किये जाने योग्य है। दिंनाक 10/07/2024 को जब वादीया अपनी हिस्से की आराजी में खरार कर रही थी तो कुछ अजनबी लोग प्रतिवादी सं. 13 लगा0 16 के साथ आये एवं आराजी से वादीया को बेदखल करनें की धमकी दी जब वादीया ने आराजी स्वयं के होने की बात कही तो उन्होने धमकी दी कि उक्त आराजी हमारे नाम से है एवं इस आराजी का हम बैचान करूगें, तुम आज के बाद इस आराजी पर पैर नही रखना। जब वादीया ने पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो उक्त गलती का पता लगा एवं जब वादीया ने उक्त गलती की दुरुस्ती बाबत प्रतिवादी सं. 17 को निवेदन किया तो उन्होने मान्य न्यायालय में कार्यवाही करने के लिये कहा, इसलिये यह वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। विवादग्रस्त आराजी में वादीया का 1/5 हिस्से की भूमि हैं तथा मौके पर वादीया अपने 1/5 हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चली आ रही हैं। इसलिए वादीया अपने 1/5 हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में प्रतिवादी सं. 01 लगा0 16 द्वारा हस्तक्षेप करने से रूकवाने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाना आवश्यक हुआ इसलिए वाद स्थायी निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ। जिसकी वादीया कानूनन अधिकारी हैं वाद कारण दिनांक 10.07.2024 को प्रतिवादी सं. 13 लगा0 16 द्वारा वादीया के 1/5 हिस्से की भूमि के कब्जे में दखल अन्दाजी करने व बैचान करने की धमकियां देने से वाद कारण उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी हैं। वाद कारण से वाद अन्दर मियाद प्रस्तुत हैं। पक्षकारान का निवास स्थान व विवादग्रस्त आराजी श्रीमान के क्षैत्राधिकार में स्थित होने से वाद का

लगातार................4

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

श्रवणधिकार व क्षैत्राधिकार मान्य न्यायालय को प्राप्त है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जारी की गई। प्रतिवादीगण की और से वकील श्री मुकेश चौधरी उपस्थित आये तथा इकबालिया जबाब दावा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया एवं अपने जबाब मे वाद पत्र के तथ्यो को स्वीकार करते हुये अतिरिक्त कथंन मे बताया की उक्त विक्रय पत्र मे विक्रेता बालू ने उक्त वर्णित विवादित आराजी खसरा नम्बर 311/504 रकबा 5 बीघा अर्थात 1.2645 है0, ख.नं. 38 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा अर्थात 0.2908 है०, ख.नं. 427 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा अर्थात 0.6449 है०, ख.नं. 569/244 जिसका पूर्व नम्बर 3.244/535 रकबा 5 बीघा अर्थात 1.2645 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 13 बीघा 14 बिस्वा अर्थात 3.4647 है0 भूमि मे से 4/5 हिस्से की भूमि का बैचान किया था जिसमे वादीया का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 प्रत्येक क 1/15 – 1/15 हिस्सा अर्थात कुल मिलाकर 1/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं0 4 लगायत 7 प्रत्येक का 1/25 – 1/25 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 8 लगायत 12 का संयुक्त रूप से 1/25 हिस्सा अर्थात प्रतिवादी सं0 4 लगायत 12 का कुल मिलाकर 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 13 लगायत 16 प्रत्येक का 1/20 – 1/20 हिस्सा अर्थात कुल मिलाकर 1/5 हिस्सा अनुसार नाम लगा दी जावे तो प्रतिवादी सं0 1 लगायत 16 को कोई आपत्ति नही है।

वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 16 स्वंय हाजिर अदालत आये तथा राजीनामा पेश किया जो वाद तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। एवं अपने राजीनामा मे वादीया का वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने अपने वाद पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये वादीया का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपनी बहस मे वादीया का वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की वादीया द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रकरण घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती का पेश किया गया है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2070 – 2073 वाके ग्राम मण्डप के खाता सं0 55 मे उक्त विवादग्रस्त आराजी वादीया व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 व प्रतिवादी सं0 4 लगायत 7 व प्रतिवादी सं0 8 लगायत 12 की सांस व दादी राधा पत्नि रामचन्द्र व प्रतिवादी सं0 13 लगायत 16 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार

लगातार...............5

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

है। उक्त विवादग्रस्त आराजी वादीया व प्रतिवादीगण को विक्रय पत्र नामान्तकरण सं0 328 दिनांक 20.07.2012 के द्वारा प्राप्त हुई है। पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा हो चूका है पक्षकारान ने अपने राजीनामा मे वादीया का वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की है। उपरोक्त तथ्यो के प्रकाश मे हम वादीया का वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः वादीया का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 55 के खसरा नम्बर 311 / 504, 38, 427, 569 / 244 कुल किता 04 कुल रकबा 3.4647 है0 भूमि वाके ग्राम मण्डप तहसील फागी जिला जयपुर मे स्थित आराजीयात मे छोटी देवी पत्नि हनुमान हिस्सा 4 / 35, राधा पत्नि रामचन्द्र हिस्सा 4 / 35, रामकन्या देवी पत्नि रामधन हिस्सा 4 / 35, लादू पुत्र रामकरण हिस्सा 4 / 105, लादी पुत्री रामकरण हिस्सा 4 / 105, लालाराम पुत्र रामकरण हिस्सा 4 / 105, सुगना पत्नि सुखदेव हिस्सा 4 / 35 सुगना देवी पत्नि नरोतम हिस्सा 4 / 35, सुरज्ञानी देवी पत्नि रमेश हिस्सा 4 / 35 के नाम दर्ज हिस्से की आराजी मे से वादीया को 1 / 5 हिस्से का, प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 को 1 / 5 हिस्से का, प्रतिवादी सं0 4 लगायत 7 को 1 / 25 – 1 / 25 हिस्से का, प्रतिवादी सं0 8 लगायत 12 को 1 / 25 हिस्से का, प्रतिवादी सं0 13 लगायत 16 को 1 / 20 – 1 / 20 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.09.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

12/9/24
(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला दूदू

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6—7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी फागी (दूदू)

बइजलास— राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी फागी सत्यमेव जयते जिला — दूदू

सुगना पत्नि सुखदेव जाति कुम्हार ((प्रजापति)) आयु 65 वर्ष निवासी मण्डप तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।

बनाम

लादू पुत्र रामकरण जाति कुम्हार ((प्रजापति)) निवासी मण्डप तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू वगै0।

::— वाद घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा ::—

मु0न0:— 50/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी श्री विनय कुमार जैन हाजिर रूबरू वकील प्रतिवादीगण श्री मुकेश चौधरी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीया का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 55 के खसरा नम्बर 311/504, 38, 427, 569/244 कुल किता 04 कुल रकबा 3.4647 है0 भूमि वाके ग्राम मण्डप तहसील फागी जिला जयपुर मे स्थित आराजीयात के वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे अंकन छोटी देवी पत्नि हनुमान हिस्सा 4/35, राधा पत्नि रामचन्द्र हिस्सा 4/35, रामकन्या देवी पत्नि रामधन हिस्सा 4/35, लादू पुत्र रामकरण हिस्सा 4/105, लादी पुत्री रामकरण हिस्सा 4/105, लालाराम पुत्र रामकरण हिस्सा 4/105, सुगना पत्नि सुखदेव हिस्सा 4/35, सुगना देवी पत्नि नरोतम हिस्सा 4/35, सुरज्ञानी देवी पत्नि रमेश हिस्सा 4/35 के नाम दर्ज हिस्से की आराजी मे से वादीया को 1/5 हिस्से का, प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 को 1/15 — 1/15 हिस्से का, प्रतिवादी सं0 4 लगायत 7 को 1/25 — 1/25 हिस्से का, प्रतिवादी सं0 8 लगायत 12 को संयुक्त रूप से 1/25 हिस्से का, प्रतिवादी सं0 13 लगायत 16 को 1/20 — 1/20 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी।

निज.........X.........मुबलिग.........X.........बाबत.........X.........खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह ....X.........फीसदी.........X.........सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.........का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12/09/2024 को जारी की गई।

दस्तखत...........
उपखण्ड अधिकारी
ओहदा...........
फागी, जिला—दूदू

मुहर

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबुत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बवत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

12/9/24

उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला दूदू

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला—दूदू